तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख इस हुक्म की जारी
	21.1.19 पत्रावली [illegible] ने [illegible] पत्रावल अग्रिम [illegible] हेतु दिनांक 5.2.19 पेश हो।	
	5.2.19 पत्रावली [illegible] ने [illegible] अतः पत्रावल अग्रिम कार्यवाही हेतु 9.4.19 पेश हो।	
9.4.19	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी उप० / अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल होकर प्राप्त हो चुके हैं। मिसल वास्ते बहस T.I. दिनांक 3.7.19 को पेश हो।	
3.7.19	पत्रावली पेश हुई। आज बार संघ परवतसर ने न्यायीक कार्य का बहिष्कार रखा है। अतः पत्रावल अग्रीम कार्यवाही हेतु दिनांक 11.9.19 को पेश हो।	
11.9.19	पत्रावली पेश हुई। आज बार संघ परवतसर ने न्यायीक कार्य का बहिष्कार रखा है। अतः पत्रावल अग्रीम कार्यवाही हेतु दिनांक 21.10.19 को पेश हो।	
21/10/19	पत्रावली पेश हुई। आज बार संघ परवतसर ने न्यायीक कार्य का बहिष्कार रखा है। अतः पत्रावल अग्रीम कार्यवाही हेतु दिनांक 25.12.19 को पेश हो।	
25/12/19	पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी Leave मकोदा दौरे पर पधारे है। अतः पत्रावल अग्रीम कार्यवाही हेतु दिनांक 13.2.20 को पेश हो।	
	13.2.20 वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। मि० वास्ते आदेश हेतु दिनांक 27.2.20 को पेश हों।	
	27.2.20 वकील प्रार्थी उप०। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रा० पत्र के पैरा सं. 2 में वर्णित आराजीयात में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थीगण व	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

व अप्रार्थीगण संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है तथा स्व. प्रभुराम जी के वारिसान हैं। प्रभुराम जी के दो पुत्र भंवरलाल व सुगनाराम थें। भंवरलाल के स्वर्गवास होने पर उसकी पत्नी दाखा देवी ने सुगनाराम से नाता कर पुनः विवाह कर लिया जिसके बाद दाखा व सुगनाराम के प्रार्थीगण पुत्र पैदा हुऐं। प्रभुराम के स्वर्गवास के वक्त अप्रार्थी 1 व 3 से 5 नाबालिग थें अप्रार्थी 1 का लालन-पालन व 3 से 5 का लालन पालन सुगनलाल अप्रार्थी 2 ने ही किया हैं। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संयुक्त परिवार था व संयुक्त परिवार के रूप में ही निवास करते थें। भंवरलाल का स्वर्गवास होने पर भंवरलाल की खातेदारी भूमि का नामान्तरण अकेले हरजिराम अप्रार्थी 1 के नाम दर्ज कर दिया गया। जबकि भंवरलाल के वारिसान होने व संयुक्त परिवार के सदस्य होने के कारण प्रार्थीगण व अप्रार्थी 1 से 5 संयुक्त रूप से खातेदार दर्ज होना था। उक्त आराजीयात में से गोरधन पुत्र उदाराम खाती से उसका सम्पूर्ण हिस्सा अप्रार्थी 2 ने खरिद कर अप्रार्थी 1 परिवार में बड़ा होने से बैचान दस्तावेज उसके नाम पंजीयन करवा दिया गया। जिस पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 1 से 5 को संयुक्त रूप से कब्जा चला आ रहा हैं। तथा ख.नं. 715, 718 में सहवन से वाद में वर्णित प्रतिवादी 39, 37, 44, 47, 48, 49, 51, 54 का खातेदारी में सहवन से नाम दर्ज हो गया हैं। जिसको हटवाने एवं हराजेराम पुत्र सुगनाराम के अंकित हिस्से में प्रार्थीगण 2/7 हिस्से की खातेदारी घोषणा करवाकर बेरवारा करवाने हेतु वाद पेश कर रखा हैं। जिसके निर्णय तक अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। दिनांक 2.1.19 को अप्रार्थीगण के नोटिस विधिवत रूप से तामील होकर प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार विवादित भूमि खसरा नम्बर 715, 718 रकबा 0.98 है प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण दोनों ही खातेदार नहीं हैं। ख.नं. 325, 326, 327 व रकबा 3.72 हैक्टयर की भूमि अप्रार्थी 1 का 73/372 हैक्टयर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व इस हुक्म
	भूमि खातेदारी दर्ज हैं, खाता सं. 287, कुल रकबा 3.89 हैक्टयर में भी अप्रार्थी 1 का 3/16 हिस्सा दर्ज रिकार्ड हैं तथा खाता सं. 391 में कुल रकबा 4.68 हैक्टयर भूमि में 1/2 हिस्सा अप्रार्थी 1 की व 1/2 हिस्सा अप्रार्थी 2 की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हैं इसी प्रकार खाता सं. 182 कुल रकबा 0.98 हैक्टयर में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण खातेदार दर्ज नहीं हैं।	
	उपरोक्त विवेचन में प्रार्थीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया हैं जिससे विवादित भूमि पैतृक भूमि होना साबित होता हो। उक्त भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त भूमि हैं तथा संयुक्त परिवार की आय से खरीद शुदा भूमि है। यह तथ्य मूल वाद में साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय होना हैं। उक्त विवादित भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से खरीद शुदा भूमि है यह भी मूल वाद में साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय होना हैं। अप्रार्थी 1 उक्त भूमि में रिकार्ड खातेदार है जिसके विरूद्ध कानूनन अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती हैं। प्रार्थीगण सम्पूर्ण तथ्य मूल वाद में साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय करावे। अप्रार्थीगण रिकार्ड खातेदार हैं जिनके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती हैं जिससे अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना-पत्र साबित नहीं होता हो। प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा० पत्र साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। यह आदेश आज खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	
	(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर)	